रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1198] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2017/वैशाख 8, 1939
No. 1198] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2017/VAISAKHA 8, 1939

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2017

का.आ. 1358(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए एक से अधिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) घरेलू उपयोग के लिए वहन करने योग्य रसोई ईंधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से "सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) किरोसिन और घरेलू एलपीजी सहायिकी योजना, 2002" के अधीन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्राप्त किरोसिन का आबंटन करता है।

और, मंत्रालय ने पीडीएस किरोसिन स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) में प्रत्यक्ष प्रसुविधा अंतरण भी पुरस्थापित किया है जिसके माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के बैंक खातों में जिन्होंने गैर-सहायता प्राप्त दर पर पीडीएस किरोसिन का क्रय किया है, सहायतार्थ धन सीधे अंतरित हो जाता है।

और, स्कीम के अधीन, परिवार के सदस्यों (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) को या तो सहायता प्राप्त किरोसिन या उनके बैंक खातों के माध्यम से नकद (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) किरोसिन सहायतार्थ धन दिया जाता है, जिसमें भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्वलित है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपयोग करने के इच्छुक फायदाग्राही व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्यांक के अपने पास हाने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे।

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने के ऐसे किसी इच्छुक व्यक्ति से, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, किन्तु स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने का इच्छुक है, 30 सितम्बर, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करने की अपेक्षा की जाती है, परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची यूआईडीएआई वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में स्कीम के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार संबंधित विभाग से, जो किसी फायदाग्राही से आधार प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा रखता है, ऐसे फायदाग्राही के लिए, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हुए हैं आधार नामांकन सुविधाएं प्रस्थापित करने की अपेक्षा है, और संबंधित ब्लॉक या ताल्लुका या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र स्थित न होने की दशा में राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में स्कीम के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार संबंधित विभाग से अपेक्षा की जाती है कि वह यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय बनाते हुए या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थलों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

परन्तु किसी व्यक्ति का आधार नियत किए जाने तक ऐसे व्यक्तियों को स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं, निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए दी जाएंगी, अर्थात :—

(क) (i) यदि उसने आधार के लिए नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान है, या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की एक प्रति, और

(ख) निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज:

(i) फोटो सहित बैंक पास बुक, या (ii) मतदाता पहचान पत्र, या (iii) राशन कार्ड, या (iv) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड, या (v) पासपोर्ट, या (vi) एमजीएनआरईजीएस कार्ड, या (vii) किसान फोटो पासबुक, या (viii) डाक विभाग द्वारा जारी नाम और फोटो वाला पता का कार्ड या (ix) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सरकारी पत्र-शीर्ष पर ऐसे सदस्य की पहचान का फोटो के साथ प्रमाणपत्र, या (x) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

परन्तु कि पूर्वोक्त दस्तावेजों की जांच इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. फायदाग्राहियों को इस स्कीम के अधीन सुविधाजनक और बाधा रहित प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन स्कीम के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार संबंधित विभाग सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात् :—

(क) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता के प्रति फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए मीडिया, नोटिस बोर्डों, तथा उचित मूल्य की दुकानों आदि के माध्यम से व्यक्तिगत सूचना देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा और उन्हें यह सलाह दी जा सकेगी कि यदि वे पहले से नामांकित नहीं हैं तो 30 सितम्बर, 2017 तक आधार नामांकन हेतु अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्र में जाकर अपना नामांकन करा सकते हैं, उन्हें

स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची (सूची यूआईडीएआई वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि, स्कीम के फायदाग्राही अपने आस पास के क्षेत्रों जैसे ब्लॉक या ताल्लुका या तहसील में नामांकन केन्द्र उपलब्ध नहीं होने के कारण आधार के लिए नामांकन करवाने में असमर्थ हैं तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में स्कीम के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार संबंधित विभाग से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करने की अपेक्षा होगी और फायदाग्राहियों से, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के संबंधित पदधारियों या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वैब पोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर तथा पैरा 1 के उप पैरा (3) के प्रथम परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देते हुए आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्टर करने का अनुरोध किया जा सकेगा।

3. राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, पात्र परिवारों के भिन्न-भिन्न फायदाग्राहियों द्वारा प्रस्तुत आधार संख्या की मौजूदगी का प्रमाण मिलने के तीस दिन के भीतर प्रसुविधाओं का उपभोग करने वाले ऐसे परिवारों को नकद अंतरण प्रसुविधा के लिए जारी राशन कार्ड के साथ अथवा बैंक खातों के साथ आधार नम्बर को जोड़ देंगे।

4. उपरोक्त पैरा में किसी बात के होते हुए भी, यद्यपि परिवार के ऐसे सभी सदस्यों का आधार संख्या नियत न किए जाने की दशा में यदि राशन कार्ड में परिवार का कोई सदस्य उपरोक्त खंडों में वर्णित पहचान संबंधी शर्तों को पूरा करता है तो राशन कार्ड में सूचीबद्ध परिवार का कोई सदस्य राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की स्कीम के अधीन हकदार प्रसुविधाओं की पूरी मात्रा प्राप्त करने का हकदार होगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से असम, मेघालय राज्यों और जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी होगी ।

[फा. सं. पी-23014/1/2017-एलपीजी]

आशुतोष जिंदल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2017

S.O. 1358(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Petroleum and Natural Gas (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India allocates subsidised kerosene to the States and Union territories under the "Public Distribution System (PDS) Kerosene and Domestic LPG Subsidy Scheme, 2002" with an objective to provide affordable cooking fuel for domestic use;

And whereas, the Ministry has also introduced Direct Benefit Transfer in the PDS Kerosene Scheme (hereinafter referred to as the Scheme) through which subsidy is transferred directly to the bank accounts of the beneficiaries, who purchase PDS Kerosene at non-subsidised rate;

And whereas, under the Scheme, members of the household (hereinafter referred to as the beneficiaries) are given either subsidised kerosene or kerosene subsidy in cash (hereinafter referred to as benefits) through their bank accounts, which involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:–

1. (1) Any individual desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30th September, 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:—

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) any one of the following documents:-

(i) Bank passbook with photograph; or (ii) Voter identity card; or (iii) Ration Card; or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card; or (v) Passport; or (vi) MGNREGS Card; or (vii) Kisan Photo passbook; or (viii) Address card having Name and Photo issued by Department of Posts; or (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or (x) Any other documents as specified by the State Government or Union territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the State Government or Union territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media, notice boards and individual notices through Fair Price Shops, etc. shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 30th September, 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the nearby vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme under the State Government or Union territory Administration is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first

proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned official of the State Government or Union territory Administration or through the web portal provided for the purpose.

3. The State Government or Union Territory Administration shall, within a period of thirty days from the receipt of proof of possession of Aadhaar number furnished by individual beneficiaries of the eligible household, link the Aadhaar number with the ration card issued to such household availing the benefits or with the Bank Account for Cash Transfer benefit.

4. Notwithstanding anything in above paragraphs, any member of eligible household listed in the ration card shall be entitled to receive the entire quantity of entitled benefits under the Scheme of State Governments or Union territory Administrations, if any one member of the household in the ration card fulfils the identification conditions mentioned in above clauses, in case Aadhaar number is not yet assigned to all such members of the household.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. P-23014/1/2017-LPG]

ASHUTOSH JINDAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.